प्रेषक,

सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 278 दिनांकः 10 जुलाई,2019

विषयः **वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के शुल्क में वृद्धि के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि शासन ने अपने पत्र संख्या–971/15–7–2018–1(25)/2018 दिनांकः 08 जुलाई,2019 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2020 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क को निम्नवत संशोधित किया गया है।

कृपया अपने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दें कि वे छात्र/छात्राओं से संशोधित परीक्षा शुल्क लेकर उसे राजकीय कोषागार में जमा करायें। इस सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से व्यापक प्रचार/प्रसार कराया जाय। इस सम्बन्ध में प्रकाशित करायी गयी विज्ञप्ति संख्या–मा0शि0प0/सिस्टम सेल/268(1–9) दिनांकः 09–07–19 इस सीमा तक संशोधित समझी जाये।

वर्ष 2020 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा हेतु अब लिया जाने वाला संशोधित परीक्षा शुल्क –

क्रम	परीक्षा	संस्था0/व्यक्ति0	परीक्षा शुल्क	अंकपत्र शुल्क	अग्रसारण शुल्क	योग (रु0पै0)	प्रधानाचार्य के प्रयोगार्थ	कोषागार में जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क की धनराशि
1	**हाईस्कूल**	संस्थागत	**500.00**	**1.00**	------	**501.00**	**0.25**	**500.75**
2	हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम	संस्थागत	200.00	1.00	------	201.00	0.25	200.75
3	हाईस्कूल	व्यक्तिगत	**700.00**	**1.50**	**5.00**	**706.50**	**0.50**	**706.00**
4	हाईस्कूल क्रेडिट सिस्टम	व्यक्तिगत	300.00	1.50	5.00	306.50	0.50	**306.00**
5	हाईस्कूल विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु	व्यक्तिगत	200.00 (प्रति विषय)	1.50	5.00	206.50	0.50	**206.00**
1	**इण्टरमीडिएट**	संस्थागत	**600.00**	**1.00**	------	**601.00**	**0.25**	**600.75**
2	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–१ एवं २) एवं व्यावसायिक वर्ग	संस्थागत	**600.00**	**1.00**	------	**601.00**	**0.25**	**600.75**
3	इण्टरमीडिएट	व्यक्तिगत	**800.00**	**1.50**	**5.00**	**806.50**	**0.50**	**806.00**
4	इण्टरमीडिएट कृषि (भाग–१ एवं २) एवं व्यावसायिक वर्ग के अनुत्तीर्ण छात्र	व्यक्तिगत	**800.00**	**1.50**	**5.00**	**806.50**	**0.50**	**806.00**
5	इण्टरमीडिएट विनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय की परीक्षा हेतु	व्यक्तिगत	200.00 (प्रति विषय)	1.50	5.00	206.50	0.50	206.00

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

Scanned by CamScanner

समय–सारिणी

संस्थागत/व्यक्तिगत छात्र/छात्राओं हेतु	निर्धारित अन्तिम तिथि
1– संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा छात्र/छात्राओं का कक्षा–10 एवं 12 में प्रवेश लेने तथा परीक्षा शुल्क प्राप्त करने की अन्तिम तिथि।	05 अगस्त,,2019 तक
2– संस्था के प्रधान द्वारा समस्त अर्ह छात्र/छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क को एक मुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	10 अगस्त,2019 तक
3– संस्था के प्रधान द्वारा कोषागार में जमा किये गये परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरणों को परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर ऑनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	16 अगस्त,2019 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
4– 10 अगस्त,,2019 के पश्चात प्रति छात्र रुपया 100/– (एक सौ मात्र) विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अन्तिम तिथि।	16 अगस्त,2019 तक
5– विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना तथा छात्र/छात्राओं के शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड करने की अन्तिम तिथि।	20 अगस्त,2019 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)
6– वेबसाइट पर आनलाइन अपलोड किये गये छात्र/छात्राओं के विवरणों की चेकलिस्ट प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा उनके विवरणों (नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय, फोटो आदि) को भली–भांति चेक (जाँच) करने की अवधि। इस अवधि में वेबसाइट पर किसी भी प्रकार का अपडेशन प्रतिबन्धित रहेगा।	21 अगस्त से 31 अगस्त,2019 तक
7– ऑनलाइन अपलोड किये गये छात्रों के विवरणों में जांचोपरान्त यदि किसी प्रकार का संशोधन वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित/अपडेट करने की अवधि। इस अवधि में किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड/स्वीकार नहीं किया जायेगा। केवल संशोधन ही स्वीकार किये जायेगें।	01 सितम्बर से 10 सितम्बर,2019 तक (मध्यरात्रि 12.00 बजे तक)

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

Scanned by CamScanner

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0 / सिस्टम सेल / 278 (1-7) दिनांक: 10 जुलाई,2019

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– अनु सचिव, शिक्षा–7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2– अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3– अपर शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।

4– वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक (मा0), शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

5– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ / बरेली / प्रयागराज / वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करायें।

7– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>नोट :–</u> समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश संशोधित परीक्षा शुल्क का अपने जनपद मे व्यापक रूप से प्रसारित करायें। संस्था के प्रधान द्वारा सभी अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क का कोषपत्र 5 प्रतियों में तैयार करके अपने ही जनपद के कोषागार में जमा किया जायेगा। कोषपत्र की दो प्रति कोषागार में, एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, एक प्रति नामावली के साथ परिषद कार्यालय को प्रेषित की जायेगी तथा एक प्रति संस्था के प्रधान द्वारा विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद के समस्त संस्था से संकलित कोषपत्रों का सत्यापन अधिकतम एक माह के अन्दर कोषागार से कराया जायेगा, सत्यापन की वस्तुस्थिति / संस्तुति से परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय सचिव को अवगत कराया जायेगा। संस्था के प्रधान द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात वेबसाइट से डाउनलोड की गयी नामावली तथा कोषपत्र की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा की जायेगी।

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

Scanned by CamScanner